

182
25

पञ्चावली पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं।
 सायल एवं उनके वकील को कई बार
 आवाज लगाई गई। कोई हाजिर जवाब
 नहीं आया। आज दावा की रेशनी के
 प्राप्प 212 RTA अदम हाजिरी व अरम
 पेशी में खारिज किया जाता है पञ्चावली
 फिलहाल एक सैलज मूल्कार रहे।